

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट) लीफ्टी

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018


दायर दि० 18-5-18

फैसल दि० 18-5-18

श्री हरीश/शंकर अनवान  
लीफ्टी बनाम भूमिधारी लक्ष्मीलाल  
सागवाडा  
(वादी) (प्रतिवादी)

वादी श्री हरीश/शंकर ने वाद प्रस्तुत कर  
मोजा लीफ्टी के खाता नम्बर 161 जमाबन्दी सं० 2072-75  
में अंकित स्वयं/पिता का नाम हरि  
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है  
पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर  
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम हरीश  
पिता शंकर है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम हरि  
पिता शंकर दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है।  
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम हरीश/शंकर  
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता  
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद  
स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया  
जाता है कि मोजा लीफ्टी की जमाबन्दी संवत् 2072-75 के  
खाता संख्या 161 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम  
हरि में संशोधन कर सही नाम हरीश  
हरीश दर्ज रेकार्ड किया जावे।  
संशोधन करने वाले तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शमार  
हो नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा